डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर 2001—अग्रहायण 8, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 27 सन् 2001)

छत्तीस᾿ ढ़ ᾿ ..नीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 52 सन् 1976) को और शोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 है. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.**

(2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

अनुसूची एक में प्रविष्टि 2 में शब्द "धान" के बाद शब्द "और चावल" अंत: स्थापित किया जाये. **अनुसूची एक में संशोधन.**

अनुसूची दो में— **अनुसूची दो में संशोधन.**

(i) प्रविष्टि 57 में संख्या "5" के स्थान पर संख्या "30" प्रतिस्थापित की जावे.

(ii) प्रविष्टि 57 के बाद निम्न प्रविष्टि जोड़ी जाये :—

"58. चावल 20"

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

प्रदेश में इस वर्ष धान का विपुल उत्पादन हुआ है, तद्नुसार किसानों को धान एवं चावल का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रांत बाहर से धान एवं चावल के आयात को हतोत्साहित करने हेतु धान पर 30% तथा चावल पर 20% की दर से प्रवेश कर आरोपित करने हेतु अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है.

चूंकि विधान सभा का सत्र प्रारंभ नहीं था और इस संबंध में अध्यादेश जारी करना आवश्यक था इसलिए अध्यादेश जारी किया गया था.

अत: विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर : रामचन्द्र सिंहदेव
दिनांक : 20 नवम्बर, 2001 भारसाधक सदस्य

उपाबंध

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 में वर्तमान प्रावधान

अनुसूची-I
[धारा 3 (4) देखें]

प्रवेश कर से मुक्त माल

अनुक्रमांक (1)	माल का प्रकार (2)	निर्बन्धन एवं शर्तें जिसके आधार पर कर मुक्ति दी गई है (3)
2.	धान को छोड़कर सभी प्रकार के अनाज एवं दलहन	-

अनुसूची-II
(धारा 4, 9 एवं 12 देखें)

अनुक्रमांक (1)	माल का प्रकार (2)	कर की दर % (3)
57	धान	5

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.